न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल

अपील - 1099 - PBR - 16

राजस्व अपील प्र.क्र....../2016

कैलाश आ.रघुनाथ जाति चौधरी आयु वयस्क, निवासी ग्राम अजबगांव, तहसील सोहागपुर, जिला होशंगाबाद ---अपीलार्थी

विरूद्ध

1-कोशाबाई पुत्री शिवदीन अहिरवार आयु वयस्क, निवासी ग्राम पथरई, तहसील सोहागपूर, जिला होशंगाबाद म.प्र.

2-म.प्र.शासन --------------------उत्तरदातागण

अपील अर्न्तगत धारा 44 म.प्र.भू.रा. संहिता-

=====================================

माननीय महोदय,

अपीलार्थी, माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. द्वारा रा.प्र क्र.10/अपील/14-15"कोशाबाई विरूद्ध कैलाश अहिरवार" मे पारित आदेश दिनांक16.4.15 से दुखित होकर निम्न ठोस तथ्यो एवं विधिक आधारो पर माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत करता है कि:-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (कैलाश / कौशाबाई)

प्रकरण कमांक –पीबीआर/2016 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–04–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 16–4–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण कमांक 10/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 16–4–15 के विरूद्ध दिनांक 30–3–2016 को इस न्यायालय तृतीय अपील प्रस्तुत की गई है । इस प्रकार आवेदक की ओर से इस न्यायालय में तृतीय अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत तृतीय अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान नहीं है, साथ ही इस न्यायालय में यह अपील लगभग 10 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और विलम्ब का कारण अधिवक्ता की त्रुटि बताई जा रही है, जो समाधानकारक नहीं है, अतः यह अपील प्रथमदृष्टया विधिनुकूल प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	